अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/234–240 दिनांकः–28.11.2025

माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय उपमुख्यमंत्री/वित्त मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः– मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता की देयता को नियमविरूद्ध अनियमित मानकर वसूली के निर्देशों पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध बाबत।

संदर्भः– श्रीमान् निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव महोदय, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का समस्त कोषाधिकारी को संबोधित निर्देश पत्रांक– एफ.5 (थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/23/4890 दिनांक– 17.10.2025

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि– श्रीमान् निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव महोदय, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा संदर्भित पत्र के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्मिकों से नियमविरूद्ध अनियमित रूप से दिए गए व्यक्तिगत वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (CCA) की वसूली करवाने के समस्त कोषाधिकारियों को दिशा– निर्देश जारी किए गए है।

श्रीमान् जी से उक्त संबंध में निवेदन हैं कि कॉलेज शिक्षा विभाग की कुछ असामान्य, विशिष्ट एवं विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर, शहरी क्षेत्र में पदास्थापित ऐसे कार्मिक जिनका वेतन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों से आहरित हो रहा है, ऐसे समस्त कार्मिकों के समक्ष संदर्भित पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के कारण अतिगंभीर एवं गहरा आर्थिक एवं प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो गया है। उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों पर पुनर्विचार करते हुए संदर्भित पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों को प्रत्याहरित करवाने हेतु संघ का निम्नानुसार निवेदन हैं–

1. **<u>क्रमोन्नत महाविद्यालयों में पदस्थापन की विशेष स्थितिः–</u>**
   – कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण विभाग है। विभिन्न महाविद्यालयों के क्रमोन्नत होने के पश्चात् भी आगामी अनेक वर्षों तक पदों का आवंटन एवं मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता है।
   – महाविद्यालयों की शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने के लिए शासन द्वारा ही कार्मिकों को इन महाविद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। जो कि लोकहित का विषय है।

– उपर्युक्त स्थिति पदस्थापित कार्मिकों की स्वैच्छा या नियमों के अतिक्रमण के कारण नहीं होकर शासन की आवश्यकता एवं व्यवस्था के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में मकान किराया भत्ता (HRA) एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (CCA) की वसूली के आदेश प्रसारित कर वसूली करना अन्यायपूर्ण हैं जबकि ऐसे समस्त कार्मिक शासन के आदेश–निर्देशों के क्रम में अपनी सेवाएँ दे रहे है।

2. **<u>सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों के संबंध में:–</u>**

– सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक जिनकी वेतन व्यवस्था अन्यत्र महाविद्यालयों से की गई है, ऐसे समस्त कार्मिक भी शासन के आदेशों की अनुपालना में संबंधित पदस्थापन महाविद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं होने एवं प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य अत्यधिक होने के कारण ही अपनी सेवाएँ दे रहे है। ऐसे समस्त कार्मिक प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन में अपनी स्वैच्छा से पदस्थापित नहीं होकर शासन के राजकीय आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित कर रहे है।

3. **<u>राजसेस महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों की स्थिति:–</u>**

– राजसेस महाविद्यालयों में पदस्थापित अशैक्षणिक एवं शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन पदों के राजसेस सोसाइटी में आवंटित होने के मध्यनजर अन्यत्र सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध आहरित किया जा रहा है।

– यह एक स्पष्ट एवं समुचित प्रशासनिक व्यवस्था का ही भाग है। कार्मिकों को एक विशिष्ट कार्ययोजना के तहत विशेष दायित्व प्रदान किए गए है। ऐसी स्थिति में उनके वास्तविक कार्यस्थल के आधार पर HRA/CCA का लाभ संबंधित कार्मिकों को दिया जाना अनुचित नहीं है।

– वेतन व्यवस्था के कारण वेतन व्यवस्था वाले स्थान के आधार पर मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता राशि की वसूली करना प्रशासनिक निर्णय की दृष्टि से असंगत निर्णय को प्रदर्शित करता है। जो कि शासन की रीढ के रूप में परिभाषित कार्मिकों के हित में नहीं होकर बल्कि दंडित किए जाने के समान प्रतीत होती है।

4. **<u>निलंबित कार्मिकों के संबंध में:–</u>**

– विभाग में विभिन्न संवर्गों में निलंबित कार्मिकों को अपने मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापित कर निर्वाह भत्ता आहरित किए जाने की स्वीकृति अनवरत जारी की जाती रही है।

– उक्तानुसार स्पष्ट हैं कि शासन एवं विभाग स्वयं यह प्रमाणित करते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमों में लचीलेपन की आवश्यकता महती प्रतीत होती है। यदि निलंबन जैसी गंभीर परिस्थिति में उपर्युक्त उल्लेखितानुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता राशि की वसूली की जाती हैं तो ऐसे प्रावधान निलंबित कार्मिक के साथ घनघोर अन्याय के समान है।

5. **<u>वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुसार समुचित राहत का प्रावधान:–</u>**

– **<u>प्रावधान 1.</u>** वित्त विभाग, राजस्थान का परिपत्र क्रमांक– No. F.9(14)FD/Rules/2005/Pt. Date: 17 Aug 2016 Recovery of Wrongful/Excess Payments made to Government Servants/Pensioners. जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Supreme Court in the case of Chandi Prasad Uniyal and Ors v/s State of Uttarakhand and Ors., 2012 AIR SCW 4742, (2012) 8 SCC417 & Hon'ble Supreme Court in the case of State Punjab & Ors v/s Rafiq Masih (White Washer) etc. in the CA No. 11527 of 2014 (Arising out of SLP(C) No. 11684 of 2012) के तहत जारी किया गया है। जिसमें Waiving of Recovery of Wrongful

and Excess Payments किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए है। उल्लेखित न्यायिक मामलों के संदर्भ में निवेदन है कि कार्मिकों के द्वारा किसी भी प्रकार के गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर उक्त भत्ता राशि का आहरित नहीं की गई है। अतः उक्तानुसार कार्मिक हित में विचार किया जाना उचित है।

– **प्रावधान 2.** वित्त विभाग, राजस्थान के मकान किराया भत्ता नियमों में उल्लेखित प्रावधान हैं कि यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में होता हैं तो उन्हें कार्यग्रहण की तिथि से आगामी 06 माह की अवधि तक शहरी क्षेत्र में लागू HRA एवं CCA जारी रखने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

– क्रमोन्नत महाविद्यालय एवं राजसेस महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों की स्थिति उक्त नियम एवं माननीय न्यायालय के निर्णय के उद्देश्य से संबंधित है। ऐसे समस्त कार्मिकों का केवल मात्र कार्यस्थल बदल जाने के साथ ही वेतन अन्यत्र स्थान से आहरित होने के क्रम में ऐसे कार्मिकों के द्वारा उक्त भत्तों को आहरित किए जाने के लिए स्वयं से किसी भी प्रकार का गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए है। अतः उपरोक्तानुसार वित्त विभाग, राजस्थान के द्वारा उक्त संदर्भ में ऐसे प्रभावित कार्मिकों भी राहत मिलनी चाहिए।

6. **कार्मिकों पर आर्थिक दबाव एवं कार्यसंस्कृति के प्रति मनोबल में कमीः–**

– उक्त उल्लेखित भत्तों को अनियमित भुगतान मानते हुए पुनः वसूली का सीधा आर्थिक एवं मानसिक प्रभाव संबंधित कार्मिकों के साथ उनके परिवारों पर भी पडेगा। जो कि कार्मिकों की अपनी कार्यसंस्कृति के प्रति असंतुष्टी की भावना को बढाएगा।

– शासन के स्तर पर किया गया ऐसा प्रयास कार्मिकों को गंभीर रूप से मनोबल को गिराने का कार्य करेगा। जिसके क्रम में प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यक्षमता के साथ शैक्षणिक व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पडने की प्रबल संभावना है।

आपसे अनुरोध हैं कि विभाग हित, कार्मिक हित एवं कार्यस्थल पर स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण वातावरण को बचाने के लिए संघ की उपरोक्त माँग पर आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाही की प्रतीक्षा में।

दिनांक– 28.11.2025

भवदीय

प्रकाश चन्द्र शर्मा
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/23/ ५४९० दिनांक 17/10/2025

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– विभिन्न विभागों के कार्मिकों को किए जा रहे अनियमित व्यक्तिगत वेतन, मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते की वसूली करवाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के वेतन भुगतान से संबंधित डेटा की जाँच/विश्लेषण किए जाने पर पाया गया कि विभिन्न विभागों के कतिपय कार्मिकों को व्यक्तिगत वेतन (PP), मकान किराया भत्ता (HRA) एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते (CCA) का अनियमित भुगतान किया जा रहा है (विवरण संलग्न)।

अतः आपके कोषालय के अधीन संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को संलग्न सूची में उल्लेखित कार्मिकों को किए जा रहे अनियमित भुगतान से अवगत करवाकर 15 दिवस में वसूली करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आगामी माह का वेतन बिल बनने से सिस्टम पर रोक दिया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752